

## घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता /कराती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामो से भली-भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण/तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मैं, अपने विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 236 व 237 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होउंगी।

भू-सम्पदा अधिनियम-2016 की धारा-47(2) के प्राविधानों के अनुक्रम में मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे कोई ऐसे वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलिय अधिकरण लखनऊ के सदस्य (तकनीकी) के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

यदि मेरे द्वारा किये गये दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा सदस्य (तकनीकी) उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलिय अधिकरण के रूप में प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।